न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 10/2020 दायरा दिनांक : 13.01.2020

उनवान

काली बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी लटूरलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम बरेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1 मांगीलाल पुत्र कान्हा जाति धाकड, निवासी बरेड़ा (मृतक)

1/1 देवीशंकर पुत्र मांगीलाल, जाति धाकड, निवासी बरेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/2 बजरंगलाल पुत्र मांगीलाल, जाति धाकड, निवासी बरेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2 रामकरण पुत्र मोतीलाल

3 भरोसी बाई पुत्री भैरू लाल

4 शिवचरण दत्तक पुत्र बद्रीलाल

5 हीरालाल पुत्र गोपाल

6 कंचन बाई पुत्री गोपाल

7 लाडबाई पुत्री गोपाल जाति धाकड़, निवासीग्रण ग्राम बरेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8 भंवरलाल पुत्र जानकीलाल, जाति धाकड़

9 बद्रीलाल पुत्र जानकीलाल

10 रामकिशन पुत्र जानकीलाल

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

11.रामकुंवार पुत्र जानकी लाल

12.लाड बाई पुत्री जानकी लाल

13. भूली बाई पुत्री जानकी लाल निवासीगण ग्राम बुखारी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान

14.पटवारी हल्का बरेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

15.भूमि अवाप्ति अधिकारी वृहद् परवन सिंचाई परियोजना झालावाड

16.शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक इण्डिया शाखा तारज तहसील खानपुर

17.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बच्चूलाल एवं श्री ए. के. जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी. एल. माहेश्वरी, श्री अरूण ठाठोदिया, श्री अशोक गुर्जर एवं श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.12.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या –940/दावा/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का डिक्री व निर्णय पत्रावली संगृहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अकारण ही अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलान्ट काली बाई (वादिनी) का वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92(ए) 209 आर टी एक्ट 1955 को खारिज करने में कानूनी त्रूटि की है। ग्राम बरेडा पटवार हल्का बरेडा तहसील खानपुर की नया खाता संख्या 153 पुराना 152 की आराजी खसरा नम्बर 38 की 8.04 बीघा एवं खसरा नम्बर 699 की 14.013 बीघा कुल 2 किता की 22 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त प्रकरण की वास्तिविकता इस प्रकार से है कि उपरोक्त मद नम्बर 3 में वर्णित आराजी मृतक खातेदार कान्हा पुत्र नाथू के खाते की थी, खातेदार कान्हा की मृत्यु हो चुकी है। मृतक कान्हा का कोई पुत्र नही था केवल एक पुत्री नर्बदा बाई थी, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक खातेदार कान्हा के परिवार में उसके तीन भाई माधो, धन्ना, मोतीलाल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है अब वर्तमान में उनके वारिसान अपीलान्ट (वादिनी) एवं रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 13 है। इसलिये मृतक कान्हा की आराजी को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 13 में सम्भाग से उनके हिस्से अनुसार विभाजन होना चाहिये था। परन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मांगीलाल एक अजनबी व्यक्ति है जिसका कि उपरोक्त आराजी से प्रत्येक्ष एवं परोक्ष रूप से कोई संबंध नही है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

परन्तु उसके द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करके गलत रूप से मृतक खातेदार कान्हा की वल्दियत बनकर अपने नाम करवाली है, जबकि रेस्पो0 1 मांगीलाल के वास्तविक पिता का नाम धन्नालाल है और वह ग्राम बरेडा का निवासी न होकर ग्राम गुर्जनी का निवासी है और उक्त जमाबन्दियो में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 13 का नाम अंकित किया जान उक्त प्रकरण में न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। रेस्पो0 1 मांगीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2019 को जरिये अभिभाषक महोदय के अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी उसके पश्चात दिनांक 17.10.2019 जवाब दावा हेतु तारीख पेशी नियत की गयी परन्तु रेस्पो0 1 के द्वारा अपीलान्ट के वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत नही करके आर्डर 7 रूल 11 (डी) जा. दी. का प्रार्थना पत्र काल्पनिक एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दिया। जिसको योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानकर अपीलान्ट का घोषणा का वाद अपने अधिकारों से परे जाकर गलत तौर पर खारिज करके कानूनी त्रूटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को वाद की प्लीडिंग को आधार मानकर एवं पक्षकारो से जवाब दावा, तनकी एवं साक्ष्य आदि को तलब करके कानूनन न्याय प्राप्त करना चाहिये था। परन्तु उन्होने ऐसा नही करके अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त वाद को गलत तौर पर खाारिज करके कानूनी त्रूटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पो0 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त न्यायहित में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

एवं पक्षकारों को उचित निर्णय हेतु विधि बिन्दु बनाकर उस पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध करके निर्णय पारित करना चाहिए था । परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके विधिक त्रुटि की है इस कारण से उक्त निर्णय एवं डिक्री हर तरह से निरस्त होने योग्य है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने ऑर्डर 7 नियम 11 की प्रार्थना पत्र लगाया, हमारा दावा खारिज कर दिया । प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि किस लॉ में दावा बार्ड है । डिक्लरेशन का दावा साक्ष्य सबूत से तय किया जाना चाहिए जिसका अभाव है । अतः प्रकरण रिमाण्ड करें । अधीनस्थ न्यायालय साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय करें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि अपीलांट डिक्लरेशन सूट के साथ कोई दस्तावेज नहीं लगाया हमारी नई जमाबंदी लगा दी व नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 2.7.77 को जो ग्राम पंचायत में खुला है, लगा दिया । कान्हा हमारे ससुर थे वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री जवाई के करवा दी । ये किस आधार पर दावा लाये हैं । कान्हा पुत्र नाथू के नाम आराजी दर्ज थी । कान्हा ला औलाद फौत हुआ है । कान्हा के बाद नर्बदी बाई के नाम आराजी आई तब चैलेन्ज नहीं किया । इसका टाईटल ही नहीं है तो दावा कैसे चलेगा । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 7 नियम 11 प्रार्थना

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पत्र के आधार पर वाद खारिज किया है, जो उचित नहीं है । वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया जो साक्ष्य, सबूत से ही तय होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में वाद किसी विधि द्वारा वर्णित है का, उल्लेख नहीं किया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य, सबूतों को लेकर प्रकरण का निस्तारण विधिपूर्वक करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा